For the projects which are not yet sanctioned/scrutinised, no exact estimate can be made of the average cost per tonne since it would depend on the overall cost of each project. This in turn would vary according to geo-mining conditions, other project parameters and prevailing cost of inputs at the time of sanction of each project.

(c) Estimated production of coal by the terminal year of 8th Plan period (1996-97) from (i) Existing mines (ii) Sanctioned ongoing projects (iii) new projects, will be 270 million tonnes from CIL and 33 million tonnes from Singareni Collieries Company Limited.

कोयला के उत्पादन को बढ़ाने की नई योजनाएं

1477. श्रीमती सुषमा स्वराज
डॉ. जिनेन्द्र कुमार जैन:

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने देश के कोयला उत्पादन क्षेत्र में पर्याप्त सुधार लाने के लिए एक योजना तैयार की है, जिसे विभिन्न चरणों में लागू किया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की विस्तृत रूपरेखा क्या है और इस योजना को कब आरंभ किया जाएगा और यह योजना अनुमानतः कब पूरी होगी;

(ग) क्या यह भी सच है कि किए गए मूल्यांकन के अनुसार, यह क्षेत्र मशीनरी के उपयोग को वर्तमान दर को एक प्रतिशत बढ़ाकर एक करोड़ रुपए का लाभ कमा सकता है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने कोई अध्ययन किया है कि विद्यमान मशीनरी के उपयोग में कितना (प्रतिशत में) सुधार किया जा सकता है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस समय कितने प्रतिशत मशीनरी का उत्पादन के लिए उपयोग हो रहा है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित सिंह पांजा): (क) और (ख) देश में कोयले की प्रक्षेपण मांग की पूर्ति किए जाने के लिए सरकार ने वार्षिक योजना 1993-94 तथा 8वीं पंचवर्षीय योजना को निष्पादित किया है। आठवीं योजना के अंतिम वर्ष (1996-97) के लिए कोयले की प्रक्षेपण मांग 311 मि. टन है। कोयला क्षेत्र के लिए आठवीं योजना में अनुमोदित परिव्यय की राशि 10557 रु. है।

(ग) सरकार द्वारा ऐसा कोई मूल्यांकन नहीं किया गया। किंतु उपकरणों के अच्छे उपयोग के परिणामस्वरूप निश्चित ही उत्पादन में वृद्धि होगी, जिससे कि कोयला कंपनियों की लाभकारिता में सुधार आएगा।

(घ) और (ङ) दिसंबर, 1991 में कोयला मंत्रालय द्वारा कोल इंडिया लि. की सहायक कंपनियों के उपकरणों के उपयोग के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के लिए एक समिति नियुक्त की गई थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है, जो कि सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई है। समिति ने इस रिपोर्ट में उपकरणों के उपयोगिता में सुधार लाए जाने के लिए अनेक सिफारिशें की हैं।

वर्ष 1992-93 के लिए कंपनीवार उपयोगिता, जो कि प्रतिशतता के मानदंडों के रूप में है (उपयोगिता के मानक स्तर) को नीचे दिया गया है:

कोयला कंपनी का नाम	डम्पर	डोजर	शावेल	ड्रिल
ई को लि	47	57	55	66
भा को को लि	49	60	59	51
से को लि	49	57	68	62
ना को लि	52	46	66	66
वे को लि	61	64	70	53
सा ई को कि	54	57	70	73
म को लि	48	53	53	52
सि को क. लि	50	66	54	46

Scheme for Import of Gold

@1478. DR. SANJAYA SINGH: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state: